राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन न:0141–2228066, फैक्स न:0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2019–20/2822 दिनांक : 5/11/19

कार्यालय आदेश

M/s A.K. Surgical, Jaipur के साथ निविदा क्रमांक F-8() RMSC/EPM/M-2/17-18/NIB-266/5513 दिनांक 13.11.17 के तहत चिकित्सकीय उपकरण labour table के लिए दर अनुबन्ध किया गया। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त आईटम सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 401 दिनांक 20/08/2018 जारी किया गया, जिसके अनुसार 293 निर्धारित चिकित्सा संस्थानों पर आपूर्ति की जानी थी।

आपूर्ति उपरान्त विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से फर्म के विरूद्ध क्रयादेश के क्रम में आपूर्ति किए गए आईटम लेबर टेबल की गुणवत्ता खराब होने तथा नियत स्पेसिफिकेशन के अनुसार न होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक 1712 दिनांक 20.5.19 द्वारा जांच दल गठित किए जाकर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लेबर टेबल उपकरण की जांच करवाई गई। निगम स्तर पर की गई जांच में पाया गया कि फर्म द्वारा अनेक स्थानों पर न सिर्फ निम्न गुणवत्ता के अपितु क्रयादेशों में वर्णित मापदण्डों में परिवर्तन किया जाकर स्टेनलैस स्टील के स्थान पर माइल्ड स्टील के लेबर टेबल आपूर्त करा दिए गए व कार्यादेश में वर्णित निर्धारित सहायक उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बदनीयत तथा अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से निगम द्वारा जारी आदेशों में आई0टी0 की तकनीकों का प्रयोग करते हुए काँटछाट/परिवर्तन किया जाकर धोखाधडी व जालसाजी किया जाना भी प्रकट हुआ। इस क्रम में फर्म के विरूद्ध निगम के क्रयादेशों में काँटछाट/परिवर्तन करने, कम गुणवत्ता अथवा भिन्न मापदण्ड के उपकरण आपूर्ति करने, निर्धारित सहायक उपकरण आपूर्ति नहीं करने तथा राज्य को वित्तीय हानि पहुंचाने के उद्देश्य से धोखाधडी करने हेतु पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया।

अनुशासनात्मक समिति द्वारा विचार–विमर्श कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए फर्म के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की अनुशंषा के आधार पर फर्म को NIB-266 द्वारा जारी निविदा के Section V: Schedule of Supply की शर्त संख्या 2.7.2 तथा Section VI A: General Conditions of Contract (GCC) की शर्त संख्या 3(vi), 4 (vi), 5 (i), 10 (xiv), 20 (ii) तथा 36 (i) व (ii) के

C:\Users\admin\Desktop\Debar folder\Debarring order.docx

प्रावधानानुसार तथा निगम के साथ धोखाधड़ी किए जाने के कारण दर अनुबंध के साथ प्रस्तुत performance security को जब्त करते हुए यह आदेश जारी करने की तिथि से **03 (तीन) वर्ष** के लिए निगम द्वारा जारी बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ड़िबार (debar) किया जाता है। उक्त आपूर्त की गई labour table के विरूद्व अबतक भुगतान न की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तथा फर्म अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसे उपकरण पुनः ले जा सकेगी, जिसके लिए निगम द्वारा कोई दायित्व वहन नहीं किया जाएगा। फर्म के साथ अन्य आईटमों/ उपकरणों हेतु निष्पादित दर संविदाओं में भी कोई नया संव्यवहार नहीं किया जाएगा तथा निगम के साथ निष्पादित समस्त चालू दर संविदाए आदेश जारी किए जाने की दिनांक से समाप्त की जाती हैं। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय किये गये उपकरण जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाये जाते है/ कन्साईनी चिकित्सा संस्थान द्वारा आपूर्ति उपरान्त प्रमाणित किए गए है पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2019–20/ 2822 दिनांक : 5/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर ,राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
6. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल आर.एम.एस.सी.।
7. ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी. को लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. M/s A.K. Surgical, Jaipur
9. आदेश पत्रावली।

5.11.19
(पवन जैमन)
कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.)
आरएमएससीएल